न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– पार्थवी, आर०ए०एस०

GCMS id : 2013 / 00041

करण संख्या : 77 / 13

1. तेजमल आत्मज सुख्खा, कौम रेगर, निवासी बंधा धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (वादी)

बनाम

1. मांदू आत्मज हुक्मा, जाति गुर्जर, निवासी बंधा धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. छोटू आत्मज श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बलिण्डा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री पूरणमल शर्मा, वादी अभिभाषक
श्री अरूण सिंह , अभिभाषक प्रतिवादी–1

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - वादी की आराजीयात वाके ग्राम बंधा धर्मपुरा, खसरा नम्बर 514 / 46 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 / 85 / 485 रकबा 0.10 हैक्टर कुल कुल रकबा 1.10 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात का वादी राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का बहैसियत मालिकाना कब्जा काश्त है। वर्तमान उक्त आराजीयात पर वादी ने फसल बो रखी है।
   - प्रतिवादीगण, वादी की उक्त आराजीयात को जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण दिनांक 22.07.2013 को जब वादी अपनी आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा थां उसी दौरान दिन के लगभग 12 बजे वादी की उक्त आराजीयात के पास आकर वादी को धमकी देने लगे कि वादी सीधे तरीके से उक्त आराजीयात पर खेती करना बन्द कर दे, नही तो वादी को जान से मार देगें इसलिये वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना अवश्यक हो गया है।
   - वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कब्जे कायत की उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काश्त करे, जिसमें किसी भी प्रकार की मदालखत, मजाहमत प्रतिवादीगण द्वारा उत्पन्न की जावे तो उन्हें माननीय न्यायालय की सहायता से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। प्रतिवादीगण को वादी की उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे बिना किसी वैधानिक अधिकार के वादी को वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल नहीं कर सकते।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

- वाद कारण दिनांक 22.07.203 को वादी अपने उपराक्त वर्णित आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा था कि अचानक दिन में 12 बजे प्रतिवादीगण, वादी के पास आकर उपरोक्त आराजीयात पर कृषि कार्य नहीं करने की धमकी देने पर वादी द्वारा विरोध किया गया तो उसे जबरन बेदखल करने की भी धमकी दी गई तथा गाली गलोच करने, हल्ला करने लगे तब पडोसियों द्वारा बीच बचाव करने व भविष्य में बेदखल करने की धमकी देने व थाने में शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर आई.जी. को शिकायत करने के बावजूद भी लगातार वादी को परेशान करने पर आज माननीय न्यायालसय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम बंधा, तहसील लाडपुरा की आराजीयात खसरा नम्बर 514/46 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 515/85/485 रकबा 0.10 हैक्टर कुल कुल रकबा 1.10 हैक्टर में प्रतिवादीगण, वादी के शान्तिपूव्रक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत गजाहमत उत्पन्न नहीं करे। वादी को उक्त आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभाग करने दे। कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न अपने किया प्रतिनिधि से करावे।
- वादी द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069 पेश की गई है।

3. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –
   - वादी का मालिकाना कब्जा होना अस्वीकार है। समस्त तथ्य झूंठे व बनावटी है। मनगढन्त है। पुलिस विभाग में जो कार्यवाही प्रतिवादीगण के खिलाफ की गई, वह भी पुलिस द्वारा झूंठी पाई गई।
   - प्रतिवादीगण गांव के इज्जतदार एवं शान्ति पूर्वक रहने वाले आदमी है। प्रतिवादीगण को मात्र हैरान व परेशान करने के लिये वादी यह दावा लेकर आया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वाद कारण झूंठा है। प्रतिवादीगण दूध वेचने का कार्य करते है। वादी, माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
   - वादी को राज्य सरकार द्वारा बन्धा धर्मपुरा में खसरा नम्बर 514/46 रकबा 1.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 515/85/485 रकबा 0.10 हैक्टर आवंटित की गई थी, जिसका रकबा बढाने की नियत से आस पास के खैत वालों को परेशान करता रहता है। झूंठे मुकदमेंबाजी में फंसाकर जमीन पर कब्जा करना चाहता है।
   - वादी बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी है, जिसे छुपाकर वादी ने भूमि का आवंटन कराया है जबकि सरकारी कर्मचारी को भूमि का आवंटन नियम के खिलाफ है। प्रतिवादी क्र–1 का सही नाम माधोलाल आत्मज हुक्मा है जबकि वादपत्र में मान्दू अंकित किया है जो कि गलत है इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है।
   - वादी राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है इसलिये धारा 188 आर.टी.ए. के तहत दावा लाने का अधिकार नहीं रखता है। खातेदार ही वाद प्रस्तुत कर सकता है।
   - वादी द्वारा थाना अनन्तपुरा व आई.जी. साहब को लिखकर देने पर पुलिस द्वारा मामले की सम्पूण्र जांच की है और वादी को झूठा पाया है। वादी को जो आराजीयात आवंटित हुई है उसका सीमांकन सही नहीं होने से वादी सरकारी सिवायचक जमीनों पर कब्जा करने की नियत रखता है।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

- प्रतिवादीगण पशुपालक है और जानवरों को चारा खिलाने जंगल में ले जाते है जिस पर वादी लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाता है। वादी न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है।
- अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे और वादी को पाबन्द किया जावे कि वह आवंटित रकबे के अलावा किसी अन्य आराजीयात पर कब्जा नहीं करे।

4. प्रकरण पर उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई –

* वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बंधा धर्मपुरा की आराजी खसरा नम्बर 514/46 एवं खसरा नम्बर 515/85/485 कुल किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर का वादी राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिस पर वादी बहैसियत मालिक काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर पुलिस विभाग द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कब्जे कायत की उक्त आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काश्त करे तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की मदालखत, मजाहमत करने पर उन्हें माननीय न्यायालय की सहायता से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम बंधा, तहसील लाडपुरा की आराजीयात खसरा नम्बर 514/46 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 515/85/485 रकबा 0.10 हैक्टर कुल कुल रकबा 1.10 हैक्टर में प्रतिवादीगण, वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत मजाहमत उत्पन्न नहीं करे। वादी को उक्त आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभाग करने दे और कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे।

* प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादीगण गांव के इज्जतदार एवं शान्ति पूर्वक रहने वाले आदमी है। प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये यह दावा पेश किया है। वाद कारण झूंठा है। वादी अपनी गैर खातेदारी की आराजी का रकबा बढाने की नियत से आस पास के खेत वालों को परेशान करता रहता है और झूंठे मुकदमेंबाजी में फंसाकर दूसरों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वादी ने बिजली विभाग में नौकरी करने के तथ्य को छुपाकर भूमि का आवंटन कराया है। वादी ने प्रतिवादी क्र–1 का नाम भी गलत अंकित किया है। वादी राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वह धारा 188 आर.टी.ए. के तहत दावा पेश करने का अधिकार नहीं रखता है। वादी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने जांच करके वादी की शिकायत को झूंठा पाया गया है। वादी को आवंटित आराजी का सीमांकन सही नहीं होने से वादी सरकारी सिवायचक जमीनों पर कब्जा करने की नियत रखता है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे और वादी को पाबन्द किया जावे कि वह आवंटित रकबे के अलावा किसी अन्य आराजीयात पर कब्जा नहीं करे।

5. हमने अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 514/46 एवं 575/85/485 कुल किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर वादी की गैरखातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी के कथनानुसार वादी की गैर खातेदारी की उक्त

Pal
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

आराजी का सीमांकन नहीं होने से वादी ने अपनी गैरखातेदारी की आराजी से अधिक आराजी पर कब्जा कर रखा है जबकि वादी का कहना है कि प्रतिवादी उसकी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण का मूल विवाद विवादित आराजी के सीमांकन से सम्बन्धित है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 514/46 एवं 575/85/485 कुल किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर की पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईस तथा सीमांकन किया जाकर वादी को उसकी गैरखातेदारी की आराजी का कब्जा संभलावे। पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत कराया जावे। प्रतिवादी को पावन्द किया जाता है कि सीमांकन उपरान्त वादी की गैरखातेदारी की विवादित आराजी में प्रवेश नहीं करे। साथ ही वादी को भी पावन्द किया जाता है कि वह अपनी गैरखातेदारी की आराजी के अतिरिक्त अन्य राजकीय सिवायचक आराजी पर कब्जा नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1 तेजमल आत्मज सुख्खा, कौम रेगर, निवासी बंधा धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (वादी)

बनाम

1. मांदू आत्मज हुक्मा, जाति गुर्जर, निवासी बंधा धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. छोटू आत्मज श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बलिण्डा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 77 / 13
निर्णय दिनांक : 20-09-2022

(GCMS id : 2013/00041)

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री पूरणमल शर्मा तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री अरूण सिंह की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 20–09–2022 को पेश होने पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 514/46 एवं 575/85/485 कुल किता 2 रकबा 1.10 हैक्टर की पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईस तथा सीमांकन किया जाकर वादी को उसकी गैरखातेदारी की आराजी का कब्जा संभलावे। पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत कराया जावे। प्रतिवादी को पावन्द किया जाता है कि सीमांकन उपरान्त वादी की गैरखातेदारी की विवादित आराजी में प्रवेश नहीं करे। साथ ही वादी को भी पावन्द किया जाता है कि वह अपनी गैरखातेदारी की आराजी के अतिरिक्त अन्य राजकीय सिवायचक आराजी पर कब्जा नहीं करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 20 सितम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		